

प्रारूप-3

भाग-2 (संवर्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~कमैला से नाड मोट मार्ग 4.417 हे०~~

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~

(ii) जिला ~~कलनौज~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~कलनौज वन प्रभाग कलनौज~~

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ~~4.417 हे०~~

17 पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~करिगत वन ग्रैम, सिविल एवं सैमन नगरी, वन फावना ग्रैम,~~

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा ~~नीड, ब्रुश,~~

(i) वन का प्रकार ~~डे-स फॉरेस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व ~~15~~

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना ~~संलग्न है।~~

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुरखा ~~कोई नहीं~~

19 भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण ~~भूक्षरण की संभावना नहीं~~

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी ~~शून्य~~

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता ~~निरूपित नहीं~~

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा ~~महत्वपूर्ण वन्य जीव विद्यमान नहीं~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अनावास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपायबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रेषण आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खराब में अलग किसमें के खतरों की प्रजातियां हैं, यदि है तो उसके ब्योरा ~~नहीं~~

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्व या विरासत स्थल या प्रतिस्मृतिक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) ~~नहीं~~

23 पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें ~~विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।~~

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अनिवार्य द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~आपातकालीन एवं प्रत्यक्ष वन क्षति है।~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। ~~है।~~

24 किए गए अतिक्रमण के ब्योरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है ~~नहीं/नहीं~~

(ii) यदि हा, की गई कार्य अपेक्षा, अतिक्रमण में अंतर्गलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है ~~नहीं/नहीं~~

25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~सिविल एवं सैमन नगरी~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। ~~सिविल एवं सैमन नगरी~~

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ~~संलग्न है।~~

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत, सुरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे सलमन है (हा/प्रदेश)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय सलमन है

(vi) बया क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचाने गए क्षेत्र की युविनयुवता के बारे में सलमन उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलमन है (हा/प्रदेश)।

26 वनस्पति और जीव जगु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समावात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलमन है (हा/प्रदेश)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

प्रस्ताव स्वीकृति संरक्षक की जायी है।

स्थान

तारीख

8-4-2015

हस्ताक्षर

प्रभारी वन अधिकारी

प्रभारी वन अधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा